# महिला की हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

- जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 57 हजार रुपये का लगाया गया अर्थदंड
- अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को भुगतना होगा 15 दिन का अतिरिक्त कारावास

संसू, जागरण • श्रावस्ती : महिला की हत्या के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 57 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि गिलौला क्षेत्र के गुटहरू गांव निवासी शशि तिवारी 18 दिसंबर 2022 को घर में अकेली थीं। इसी दौरान वहां पहुंचे सोनवा क्षेत्र के लालपुर प्रहलादा गांव निवासी सुनील कुमार तिवारी ने ईंट से कूच कर शशि की निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतका के भाई राहुल तिवारी की तहरीर पर गिलौला थाने में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था।

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दूबे ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।

# एसओजी व पुलिस ने किया असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

- भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित असलहे एवं उपकरण बरामद

संदेश वाहक न्यूज

**श्रावस्ती।** जनपद की एसओजी व नवीन मॉर्डन पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार की देर शाम को एक अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी है। उक्त फैक्ट्री से भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्धनिर्मित असलहे सहित असलहा बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए हैं। इस सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने एक प्रेसवार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि रविवार देर शाम मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वीरपुर-बलरामपुर मार्ग स्थित तिलकपुर के मजरा पथरहवा में एस.डी. इन्टरप्राइजेज का बोर्ड लगे दुकान में दो लोग अवैध रूप से तमंचा फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं।

*अवैध शस्त्र फैक्ट्री के सन्दर्भ में जानकारी देते एसपी ।*

मुखबिर की सूचना को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए एसओजी प्रभारी नितिन यादव व नवीन मार्डन पुलिस थाना के प्रभारी निरीक्षक सम्भू सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम का गठन कर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गयी। जहां पर दुकान के अन्दर दो व्यक्ति हथौड़ी व छेनी लेकर तमंचा बना रहे थे। जिनकी पहचान सुखदेव गौतम पुत्र राधेश्याम निवासी पनहिया बरांव थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर व विजय कुमार पुत्र गुरुदयाल निवासी ग्राम उदईपुर चितईपुर थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के रूप में हुई है। संयुक्त टीम ने मौके से तीन निर्मित, सात अर्धनिर्मित तमंचा, दो जिन्दा कारतूस व भारी मात्रा में तमंचा बनाने में प्रयुक्त उपकरण तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामद की है। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना नवीन मार्डन श्रावस्ती पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर अवैध शस्त्र निर्माण व बिक्री से जुड़े अन्य नेटवर्क के सन्दर्भ में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने इस गुडवर्क के लिए संयुक्त टीम को पच्चीस हजार रूपये ईनाम देने की घोषणा की है।